कार्यालय नगर पंचायत कॉठ, जनपद– मुरादाबाद

पत्रांक:- 2212/ ई-निविदा/न0प0कॉठ/2019

दिनॉंक- 22-2-19

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

समस्त पंजीकृत/अधिकृत सेवा प्रदाता फर्मों/सहकारी समितियों को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत कॉठ वित्तीय वर्ष– 2019–20 हेतु "राज्य वित्त आयोग" के अर्न्तगत प्राप्त वेतन वितरण के पश्चात अवशेष धनराशि में से आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई कार्य हेतु कर्मचारी कार्मिकों की आपूर्ति कराना चाहती है जिसके लिये ई–निविदा दिनांक 23–02–2019 से 02–03–2019 तक वेबसाइट WWW.etender.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगी । जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है सभी निविदादाता दिनांक 02–03–2019 की दोपहर 01:00 बजे तक वेबसाइट WWW.etender.up.nic.in पर आन लाइन अपनी ई–निविदा दर/दरें डाल सकते है ।

A	ई- प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रकाशन की तिथि	23 .02.2019
B	वेबसाइट पर ऑनलाइन निविदा डाउनलोड की तिथि	23 .02.2019 अपरान्ह 12:00 बजे से
C	ई- प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा डालने की तिथि व समय	02.03.2019 दोपहर 1:00 बजे तक
D	ई- प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा खोलने की तिथि व समय	02.03.2019 अपरान्ह 03:00 बजे से
E	ई - निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद
D	धरोहर राशि	रू0 50000/–
E	निविदा मूल्य	रू0 1000/– + 180 G.S.T.

नोट– टेण्डर खुलने की दिनॉक / तिथि को अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में टेण्डर /निविदा डालने /खोलने की कार्यवाही पूर्व निर्धारित समय व स्थान पर नियमानुसार की जायेगी । अन्य नियमो व शर्तो की सम्पूर्ण जानकारी www.npkanth.in एंव **बेबसाइट https://etender.up.nic.in** पर अपलोड कर दी गई है तथा किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय नगर पंचायत कॉठ से प्राप्त की जा सकती है ।

(मौ0 महबूब)
लिपिक
नगर पंचायत कॉठ
मुरादाबाद

(सूर्य कान्त)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत कॉठ
मुरादाबाद

(प्रीति)
अध्यक्षा
नगर पंचायत कॉठ
मुरादाबाद

प्रतिलिपि

1–सम्पादक दैनिक अमर उजाला समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि एक बार 10x12 से0मी0 आकार में प्रकाशन कर 02 प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु ।

2– सम्पादक दैनिक....टाइम्स ऑफ इंडिया....समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि एक बार 10x12 से0मी0 आकार में प्रकाशन कर 02 प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु ।

3– ज़िलाधिकरी मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

4 – अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) , मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

5– उपजिलाधिकारी कॉठ , मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

6– कार्यालय नगर पंचायत कॉठ के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु ।

Scanned by CamScanner

निविदा आमंत्रित करने हेतु आवश्यक शर्तें:–

1. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार, सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
2. निविदादाताओं को निविदा के साथ जमानत राषि के रूप में रू0 50000/– की धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा जो एफ0डी0 आर0 / डी0 डी0 के रूप में जमा होगा तथा अधिषासी अधिकारी नगर पंचायत कॉठ के पक्ष में बन्धक होगा तथा साथ ही निविदा षुल्क कार्यालय नगर पंचायत कॉठ के प्रथमा बैंक कॉठ स्थित खाता सं0 20015001500 में चालान जमा कर चालान की कॉपी व एफ0डी0 आर0 / डी0डी0 /नगद जमा की कॉपी स्कैन कर अपलोड करनी अनिवार्य होगी । साथ ही मूल रूप सें अन्य चाहे गये प्रपत्रो के साथ, यदि चाहे तो नगर पंचायत कॉठ कार्यालय में रखे टेण्डर वाक्स में डाल सकते है । शासनादेश संख्या 3070 /78–2–2018–42 आई 0 टी0 /2017(22) दिनॉक 03 जनवरी 2018 के अनुपालन में निविदादाताओं द्वारा ई– निविदा प्रमाणी के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों की स्कैन प्रतियॉं के ट्रान्जेंक्शन न0 को ई– निविदा डालते समय अपलोड करना होगा , निविदा प्रकिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ई– निविदा में संलग्न किये गये अभिलेखों के मूल अभिलेख कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जायेंगें । यदि निविदादाताओं द्वारा उक्त प्रकिया पूर्ण नही की जाती है तो इनके विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उनका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी ।
3. टेण्डर खुलने से पहले सेवाप्रदाता द्वारा निविदा शुल्क /धरोहर धनराशि के समस्त अभिलेख कार्यालय नगर पंचायत कॉठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
4. निविदा मूल्य 1,000.00 रूपये+18 प्रतिशत जी0एस0टी0सहित नगर पंचायत कॉठ में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. निविदाता को धरोहर राशि/ जमानत के रूप में 50,000.00 रूपये की धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में कम से कम 10 वर्ष का कार्य अनुभव अथवा कार्यादेश की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को श्रमविभाग में पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
8. निविदाता को उद्योग आधार में पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
9. भारत सरकार के कम में निविदा दाता को आई0एस0ओ0 निविदा दाता को वरीयता दी जायेगी।
10. सेवा प्रदाता/फर्म/सहकारी समिति का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, उद्योग आधार की मूल प्रतिलिपि अपलोड करना अनिवार्य होगा।
11. निविदा दाता किसी भी विभाग अथवा राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट घोषित नही होनी चाहिये तथ्यों को छुपाने के फलस्वरूप उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
12. सेवा प्रदाता/फर्म/सहकारी समिति के द्वारा कम से कम 500 श्रमिकों का ई0पी0एफ0 यू0एन0 नम्बर का पंजीकरण होना एवं उसका साक्ष्य अपलोड करना अनिवार्य होगा।
13. समान दरें प्राप्त होने पर पूर्व में कार्यरत फर्म/सेवा प्रदाता/सहकारी समिति को वरीयता के कम में रखा जायेगा।
14. निविदादाता द्वारा श्रमापूर्ति क्षेत्र में कम से कम न्यूनतम टर्न ओवर रूपये 2 करोड़ प्रति वर्ष में होना चाहिये।
15. निविदादाता में सफल सेवा प्रदाता/फर्म/सहकारी समिति का ई–निविदा में डाला गया लाभांश शासनादेश के अनुसार ही मान्य/अमान्य होगा।

सेवा प्रदाता द्वारा श्रमिक की आपूर्ति हेतु शर्तें

1. आवश्यकतानुसार कार्यालय में श्रमिकों की संख्या घटाई अथवा बढ़ायी जा सकती है। और इनका अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
2. नगर पालिका/नगर पंचायत में पूर्व से कार्यरत आउटसोर्सिंग श्रमिक को फर्म/सेवा प्रदाता/सहकारी समिति के द्वारा विशेष प्राथमिकता प्रदान करते हुय उन्हे अपने फर्म में पंजीकृत करना होगा ताकि उसके कार्य अनुभव व जानकारी का ज्ञान पंचायत को प्राप्त हो सके।
3. नगर पंचायत कॉठ में कुल आपूर्ति श्रमिकों द्वारा कार्यालय के अधिकारियों/सुपरवाईजरों के निर्देशानुसार कार्य करना होगा। अन्यथा की स्थिति में उनको तत्काल कार्य से हटाना होगा।
4. फर्म/ठेकेदार का चयन होने के उपरान्त अपने फर्म के साथ–साथ प्रत्येक श्रमिक को भुगतान की जाने वाली धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित करनी होगी तथा तत्सम्बन्धी सूचना/ऐस्टेटमेन्ट नगर पंचायत कॉठ को प्रतिमाह उपलब्ध करानी होगी।
5. ई0एस0आई0 एवं ई0पी0एफ0 का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित पक्षों द्वारा किया जायेगा तथा फर्म को तीन माह के अन्दर प्रत्येक कर्मचारी का ई0एस0आई0 कार्ड। जारी करना अनिवार्य होगा।
6. श्रमिको के मानदेय के प्रथम माह के भुगतान के पश्चात द्वितीय माह को भुगतान प्रथम माह के ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 अंश के जमा के साक्ष्य कार्यालय में जमा करने के पश्चात ही किया जायेगा।
7. ई0 पी0 एफ0ओ0 व ई0 एस0 आई0 सी0 में इम्प्लाई एवं इम्प्लायर शेयर को जमा करने का दायित्व चयनित कार्यदायी संस्था का होगा तथा उक्त के चालान की प्रति प्रत्येक माह बिल के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

Scanned by CamScanner

8. निविदादाता को अपने द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों की आपूर्ति का दर अलग– अलग सुस्पष्ट रूप से देना होगा और अपनी सर्विस चार्ज भी देना होगा ।
9. श्रमिकों की आपूर्ति का अनुबन्ध आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर करना होगा। कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने की स्थिति में कार्य/अनुबन्ध समाप्त किये जाने का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कॉठ में निहित होगा।
10. न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़नें पर आपूर्तिकर्ता के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त नगर पंचायत कॉठ द्वारा बढ़ी हुई दरों पर भुगतान किया जायेगा।
11. अधिशासी अधिकारी के आदेशों का अनुपालन न करने अथवा किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर अधिशासी अधिकारी को कार्यादेश निरस्त करने का अधिकार होगा।
12. किसी भी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना घटित होती है। तो उसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी।
13. सेवा प्रदाता/फर्म/सहकारी समिति को प्रत्येक श्रमिक का ब्यौरा व पहचान पत्र कार्य पर लगाये जाने के एक माह के अन्दर अथवा प्रथम भुगतान से पूर्व नगर पंचायत कॉठ को प्रस्तुत करना होगा।
14. सेवा प्रदाता/फर्म/सहकारी समिति के द्वारा कार्य के मध्य किसी भी श्रमिक को तब तक नही हटाया जायेगा जब तक कि नगर पंचायत की ओर से उसे हटाने का कोई आदेश न दिया गया हों।
15. सेवा प्रदाता/फर्म/सहकारी समिति नगर पंचायत को ऐसे श्रमिक उपलब्ध करायेंगें जो स्वस्थ होंगे व आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
16. सशर्त निविदायें मान्य नही होगी।
17. निविदा से सम्बन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद ही मान्य होगा।
18. इस निविदा से सम्बन्धित कोई आपत्ति हो, तो तीन दिवस के भीतर कार्यालय नगर पंचायत कॉठ में अवगत करायें।

(मो० महबूब) लिपिक नगर पंचायत कॉठ मुरादाबाद	(सूर्यकान्त) अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कॉठ मुरादाबाद	(प्रीति) अध्यक्षा नगर पंचायत कॉठ मुरादाबाद

Scanned by CamScanner